

फैक्स /
ई-मेल

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

शशि भूषण तिवारी,
सरकार के विशेष सचिव,

सेवा में,

समाहर्ता,
कटिहार एवं सुपौल।

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :- मुख्य शीर्ष 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष-0104-गृह विहिन परिवारों के लिए गृह निर्माण माँग सं0-40 विपत्र कोड-पी04047007890104, विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2015-16 में कुल 1,56,30,000/- (एक करोड़ छप्पन लाख तीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञाप संख्या-902(8)/रा0 दिनांक-21.07.2015 एवं पीत पत्र सं0-1058(8) दिनांक-25.08.2015 द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि के आलोक में बिहार गृह स्थल क्रय निति 2011 के अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के गृह विहिन परिवारों के गृह निर्माण योजनान्तर्गत वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि कुल 1,56,30,000/- (एक करोड़ छप्पन लाख तीस हजार) रुपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

क्र0	जिला	वर्तमान वर्ष में पूर्व में आवंटित राशि	अधियाचना संख्या	संबंधित शाखा द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि (रुपये में)	कुल आवंटित राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	कटिहार	शून्य	पत्रांक-767 दि0-03.07.2015	1,50,00,000/-	1,50,00,000/-	1,50,00,000/-
2	सुपौल	शून्य	पत्रांक-0067 दि0-27.07.2015	6,30,000/-	6,30,000/-	6,30,000/-
कुल		00		1,56,30,000/-	1,56,30,000/-	1,56,30,000/-

(एक करोड़ छप्पन लाख तीस हजार) रुपये मात्र।

- राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु ही किया जाएगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-396/वि0 दिनांक-24.04.2015 के आलोक में किया जा रहा है।
- वर्ष 2014-15 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजटीय उपबंध/आवंटन के संबंधित शीर्ष/विषयशीर्ष में प्रावधानित राशि से किया जा सकता है।
- राशि की निकासी के समय विपत्र पर मांग संख्या, इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

क०प०उ०

6. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह के 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय साथ ही राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी भेजना सुनिश्चित किया जाय।

7. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(शशि भूषण तिवारी),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(शशि भूषण तिवारी),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट), बिहार, पटना/ सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा-8/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(शशि भूषण तिवारी),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि-सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(शशि भूषण तिवारी),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-.....

131 (5) / रा0, पटना-15, दिनांक-04/09/15
प्रतिलिपि :- विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/15

(शशि भूषण तिवारी),
सरकार के अपर सचिव।

2-9